बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–1/प्रा0आ0–0–3–31/14...3832........../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27.09.2021

।। अधिसूचना ।।

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक 33–4/2015–NDM-1 दिनांक 20.03.2015 के आलोक में दिनांक 01.04.2015 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वज्रपात (Lightning), लू (Heat wave), अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना (Boat Tragedies), नदियों/तालाबो/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानोमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या–1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 द्वारा अधिसूचित है।

2. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–4887 दिनांक–11.08.2021 द्वारा बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने पर तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। यह नियमावली दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी है।

अतएव दिनांक–14.09.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) के अन्तर्गत मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव में से **सड़क दुर्घटना को दिनांक–15.09.2021 के प्रभाव से विलोपित किया जाता है** तथा अधिसूचना संख्या–1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2015 के शेष प्रावधान एवं समय–समय पर किये गये संशोधन यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव

ज्ञापांक–1/प्रा0आ0–0–3–31/14...3832........../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27.09.2021

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–1/प्रा0आ0–0–3–31/14...3832........../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 27.09.2021

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मा0 उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

D:\2021\Pankaj Sir\Notification 14-09-2021.docx